राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ सिविल द्वितीय नम्बर **186/2016**

Ram Narain, Son of Shri Ladu, by caste Khatik, resident of Naner district Tonk (deceased) through legal representatives :-

1/1. Mst. Mooli, Wife of Late Shri Ram Narain, aged about 67 years,

1/2. Mst Bhomla, Daughter Late Shri Ram Narain, aged about 35 years,

1/3. Roop Chand, Son Late Shri Ram Narain, aged about 30 years,

1/4. Sattu Lal, Son Late Shri Ram Narain, aged about 28 years,

1/5. Mst Ratni, Daughter of Late Shri Ram Narain, aged about 33 years,

all by caste Khatik, residents of Basant Vihar, Delhi

2. Mst Dhakha, Widow of Shri Ladu, by caste Khatik, resident of Naner district Tonk (deceased)

3. Mst Rampyari, Daughter of Shri Ladu, aged about 60 years, by caste Khatik, resident of Naner district Tonk (Rajasthan)

...Plaintiffs-Appellants

Versus

Kana, Son of Shri Isra, by caste Khatik, resident of Naner district Tonk (deceased) through legal representatives :-

1/1 Satya Narain, Son of Late Shri Kana,

1/2 Prem, Daughter of Late Shri Kana,

1/3 Sampat, Daughter of late Shri Kana,

1/4 Vimla, Daughter of Late Shri Kana,

1/5 Hansa, Daughter of Late Shri Kana,

all by caste Khatik, resident of Naner, tehsil & district Tonk

2. Mooliya, Son of Shri Laxmi Narain, by caste Khatik, resident of Naner, tehsil & district Tonk.

….Defendants – Respondents

आदेश दिनांक अप्रेल **28, 2017**

उ प स्थि त

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

श्री अश्वनी चौबीसा,अधिवक्ता अपीलार्थीगण

यह सिविल द्वितीय अपील 6018 दिवस के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है एवं इस विलम्ब को क्षमा कराने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का विलम्ब के संबंध में एकमात्र यह कथन है कि अपीलार्थीया संख्या-1 ग्रामीण परिवेश की व अनपढ़ महिला है, जिसे अपील निरस्त होने का ज्ञान डिक्री की पालना में वारन्ट जारी होने व तत्पश्चात् रिपोर्ट दिनांक 29.03.2016 को तैयार होने पर ही सर्वप्रथम हुआ। उन्होंने यह Fairly स्वीकार किया कि आक्षेपित डिक्री के विरूद्व प्रत्यर्थीगण ने इस न्यायालय में द्वितीय अपील दायर की थी, जो इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई थी, जिसके विरूद्व प्रत्यर्थीगण द्वारा की गई एसएलपी भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा रखें गये कथनों पर विचार करने व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों व कारणों के अवलोकन के बाद व विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आक्षेपित डिक्री के विरूद्व प्रत्यर्थीगण की द्वितीय अपील इस न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है एवं जिसके विरूद्व की गई एस.एल.पी. भी सर्वोच्च न्यायालय से निरस्त हो चुकी है, 6018 दिवस के विलम्ब को क्षमा किये जाने के कोई उचित व पर्याप्त कारण व आधार नहीं है। अत: अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है,अत: निरस्त किया जाता है व परिणामत: अपील भी मियाद बाहर होने से निरस्त की जाती है।

(न्या0 प्रकाश गुप्ता)

बीएलजैन/**27**